

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- १०६०/
1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
  2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
  3. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
  4. समस्त अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक: १८ जून, २०१२

**विषय:** समस्त स्थानीय नागर निकायों के क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश हेतु विद्युत उपकरणों को समय से स्विच ऑन व स्विच ऑफ किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान में प्रदेश में बिजली की कमी एवं बिजली के दुरुपयोग को रोकने के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त स्थानीय नागर निकायों के क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु स्थापित विद्युत प्रकाश बिन्दुओं को केवल सांय 7.30 बजे से प्रातः 4.30 बजे तक ही स्विच-आन रखा जायेगा।

2. उपर्युक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू की जा रही है जो शासन के अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगी। उक्त आदेशों का निष्ठा एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

( प्रवीर कुमार )  
प्रमुख सचिव।

संख्या- १९-८-२०१२-११३ज/०१टीसी, तददिनांक।

प्रतिलिपि निर्देशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

( प्रवीर कुमार )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: ५/ १५/२१८ स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०  
इन्द्रा भवन, लखनऊ  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ०प्र०
- 2- अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें, उ०प्र०
- 3- वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

27/6/2012

(कु० रेखा गुप्ता)  
निदेशक